

प्रस्ताव का नाम:— मा० मुख्यमंत्री की घोषणा सं० 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 7.95 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० File No.5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

- 1— ईको-क्लास श्रेणी — V
- 2— हरियाली का घनत्व— 0.3
- 3— एन०पी०वी० की दर प्रति रू० 10,05,210.00
- 4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— 7.95 है०
- 5— कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रू० 79,91,419.50

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभारी वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)